International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 9 Ser. I || September 2019 || PP 71-72

भारत में पंचायती राज व्यवस्था

डॉ बी0बी0 सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
राजनीति विज्ञान हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद

भारत में पचांयती राज शब्द का अधिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। ग्रामीण पंचायती का स्वप्र गाँधी जी के सर्वोदय के आदर्श का व्यवहारिक रूप है, क्योंकि पचांयतों के अभाव में न तो गावों का विकास हो सकता है और न उसमें बसने वाले लोगों का।

ब्रिटिश काल के प्रारम्भ से ही पंचायतों प्रसाशन की इकाई थी लेकिन उन्हें सरकार के नियत्रंण में कार्य करना पड़ता था। जब भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशान की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे निचले स्तर पर, अर्थात प्रारम्भिक स्तर पर स्वशासन की शक्तियाँ देना प्रारम्भ किया। ये स्तर थे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और नगर क्षेत्र में नगरपालिका इनके लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियम पारित किये गए जैसे बगांल नगर पालिका अधिनियम 1884, बंगाल स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1985 और बंगाल स्वशासन अधिनियम 1919। 1870 में लार्डमेयों ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की तथा लार्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय तौर पर स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की गई।

''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकों ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।''

दिसम्बर 1992 में पारित संविधान 73वें और 74 वें संशोधन के द्वारा भाग 9 और 9 क जोड़ा गया है। इन दो भागों के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 (छ) तक कुल 34 नये अनुच्छेद तथा 11वीं और 12वीं दो नई अनुसूचियाँ सविधान का अंग बन गई है। 73 वां संशोधन पंचायत सम्बन्धी और 74 वां नगर पालिकों के बारे में है।

भारत गांवों का देश है। गावों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है। गाँधी जी ने ठीक ही कहा था कि ''यदि गांव नष्ट होते है तो भारत नष्ट हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली–भांति परिचित है। अतः हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की और पर्याप्त स्थान दिया गया। दूसरे शब्दों में ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज ही एकमात्र उपयुक्त योजना है। पंचायते ं ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीड है।

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायतों ही करती थी। परन्तु अंग्रेजी राज के जमाने में पंचायते धीरे–धीरे समाप्त हो गई है और सब काम प्रान्तीय सरकारें करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और इस पर विशेष ध्यान दिया। इस सम्बन्ध में प्रो0 रजनीकोठरी ने कहा– ''राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना इसमें भारतीय राजव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।''

पं0 नहेरू ने कहा था कि ''गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उन्हें काम करने दो चाहे वे हजारों गलियां करें। इससे घबराने की जरूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो।'' नहेरू को लोकतात्रिक तरीकों में अटटू विश्वास था। सन 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 तथा उसके अन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्ता की शुरूआत से देश में पचांयतों के क्रमविकास में एक और महत्वपर्ण चरण प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधिक सरकार होने के परिणाम स्वरूप लगभग सभी प्रादेशिक ने अपना वह कर्त्तव्य माना कि ग्राम–पंचायतों सहित स्वशासन की सभी संस्थाओं को और अधिक लोकतान्त्रिक बनाया जाए। पंचायत राज व्यवस्था का प्रबंध नागरिकों को स्वयं करना होता है। यह हर्ष का विषय है कि 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को सरकारी दर्जा मिल गया है अब भारत में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के समान पंचायती राजव्यवस्था भी संविधान का अंग बन गई है आज के कल्याणकारी राज्य के कार्यों में अपार वृद्धि हुई है। फलस्वरूप उसकी कार्य क्षमता की कुशलता पर प्रतिकूल प्रतिभाग पड़ा है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय शासन के कार्यों को काम करने के लिए लोकतंत्र में शक्ति का विकेन्द्रीयकरण स्थानीय स्तर पर करना उचित है। ऐसा करके

न केवल न स्थानीय जनता को शासन में भागीदारी का तुअवसर प्रदान किया जाता है बल्कि केन्द्रीय एवं प्रांतों के कार्यभार को हल्का भी किया जाता है।

प्रजातंत्र में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व बतलाते हुए डी0 टाकविले का कथन है की ''नागरिकों की ये स्थानीय संभाए स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का निर्माण करती है जो महत्व विज्ञान की शिक्षा के लिए प्राथमिक शाखाओं का है वहीं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए नगर सभाओ ं का है। एक राष्ट्र स्वतंत्र सरकार की पद्घति को भले ही स्थापित कर ले परन्तु ऐसी व्यवस्थित स ंस्थाओं के द्वारा बिना उसमें ऐसी स्वतंत्रा की भावना नहीं आ सकती।''

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के पक्षधर बनवन्तराय मेहता अध्ययन दल की सिफारिशों से सभी राज्यों में पंचायत राज संस्थाएं गठित करने के कार्य में गति आयी और राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहेरू से राजस्थान की राजधानी जयपुर से किलोमीटर दरू नागौर में 02 अक्टूबर 1959 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किया।

राजस्थान के पंचायती राजय का मूल्यांकन करने के लिए सन् 1962 में एसोसिएशन ऑफ बॉलेटरी एजेनीज फॉर रूरल डेवलपमेन्ट (अवॉर्ड) द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने ऐसी ही टिप्पणी की : ''ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जनता को ये महसूस हो रहा है कि अपना भविष्य बनाने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार मिले है। उसे इस बात का पूरा ज्ञान है कि जो विशेषाधिकार और लाभ पहले बी0डी0ओ0 के नियत्रंण में थे, वे अब उसके नियंत्रण में है। इस अर्थ में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का पूरा लाभ हासिल कर लिया गया है।''

''बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में समिति गठित हो गई और इस समिति में एक रिपार्टे 1958 में प्रस्तुत की। इस समिति में लोकतांत्रित विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित पंचायती राजव्यवस्था त्रिस्तरीय स्वरूप वाली हो। उन्होंने सुझाव दिया की तिरखिय व्यवस्था इस प्रकार होगी। ग्राम पंचायत गाव के स्तर पर, पंचायत समिति प्रंखड स्तर पर और जिला परिषद जिला के स्तर पर।''

पंचायतों और नगरपालिकाओं के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित किये जाने से इन संस्थाओं के जनसंख्याओं को स्थिर करने के लिए प्रभावी उपकरण बनने में काफी सहायता मिलेगी। अब यह माना जा चुका है कि देश भर में पचायतों में लाखा महिलाएं राजनैतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की लहर ला सकती है। बशर्ते निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं को सक्षम किये जाने वाले उपायों को प्रोत्साहित किया जाए।

स्थानीय निकायों को जनसंख्या नियत्रंण के आधुनिकतम उपायों एवं उपकरणों की जानकारी लगातार हासिल करते रहना चाहिए। इसके साथ ही, परिवार कल्याण, पोषण, धरेलू आर्थिक प्रबन्ध श्रम बचाने की प्रौद्योगिकी तथा रोजगार परक परियोजनाओं को भी जानकारी हासिल कर उसे सामूहिक बैठकों अथवा निजी सम्पर्क के जरिए अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुचाते रहना चाहिए।

पंचायती राज–व्यवस्था से गांवो में आज राजनैतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुए है। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद गॉव में सामाजिक बुराईयों के समापन के लिए भी एक वातावरण तैयार हुआ है। पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क में अधिकारियों का भय जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण जन नौकरशाही की शक्ति से आंतकित थे अब ग्रामीण जन खण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते है। पंचायती राज में जो भावना या उद्देश्य निहित है वह यह है कि गांव के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें। वे आवश्यकताओं के विषय में स्वयं निर्णय लें और क्रियावयन करें। इस प्रकार देश की ग्रामीण जनता तक लोकतंत्र पहुंचाने का प्रयास किया गया हैं इसके माध्यम से जनता के नीचे से नीचे स्तर पर स्थित लोग भी देश के प्रशासन से सम्बद्ध हो जाते है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग न केवल नीति का ही निर्धारित करते है, बल्कि उसके किर्यान्वयन तथा प्रशासन का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन भी करते है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सरकार की मुख्य धुरी है, जिसे गांव की सरकार भी कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ही राज्य और केन्द्र सरकार की विकास परियोजनाओं को संचालित करने में मुख्य भूमिका निभा रही है। अतः हमें गांव की सरकार चुनने उक्त योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। जिसमें देश में पंचायती राज–व्यवस्था को और अच्छी गति मिल सकें।

संदर्भः–

1- INTRODUCTION TO THE CONSTITUTION OF INDIA VOL2 DELHI 2002 Dr. D.D. BASU
2. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर 2002
3- INDIAN GOVERMENT AND POLITICS Dr. B.L. FARIA
4. भारत में लोकप्रशान पेज नं0–655–657
5- PANCHAYATI RAJ INDIA-2000 GEORGE METHEW P-17-20